रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256699 CG-DL-E-28082024-256699

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3328]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3328]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

का.आ. 3645(अ).—सुशासन हेतु आधार प्रमाणीकरण (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्राधिकृत करते हुए एततद्वारा अधिसूचित करती है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 'एक बार पंजीकरण' पोर्टल पर पंजीकरण करते समय और हां/नहीं अथवा/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए परीक्षा/भर्ती परीक्षण के विभिन्न चरणों पर उम्मीदवारों की पहचान का सत्यापन करने के लिए स्वैच्धिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

5471 GI/2024 (1)

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अधिनियम के सभी प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करेगा।

> [फा. सं. 39017/01/2024-पी पी (ख-I)] मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

S.O. 3645(E).—In pursuance of sub clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, having been authorized by the Central Government, hereby notifies that the Union Public Service Commission (UPSC) is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for verification of identity of candidates at the time of registration on 'One Time Registration' portal and various stages of examination/recruitment test, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

Union Public Service Commission (UPSC) shall adhere to all provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder, and directions issued by the 'Unique Identification Authority of India'.

[F. No. 39017/01/2024-PP(B/I)] MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.